राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1335/2022

चन्द्र शेखर शर्मा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेबीपी1998070000422)

–अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.04.2022
आदेश की दिनांक : 06.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री टी.सी. व्यास, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी व्याख्याता भौतिक विज्ञान के पद पर रा.बा.उ.मा.वि. बसेड़ी धौलपुर में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई थी। नियुक्ति के समय अपीलार्थी की योग्यता एम.एस.सी. (भौतिक विज्ञान) दर्ज की गई थी। अपीलार्थी ने वरिष्ठता (योग्यता) दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय भरतपुर को आवेदन किया था, परंतु अपीलार्थी की योग्यता दर्ज नहीं की गई। विभागीय अनदेखी के कारण अपीलार्थी का चयन डीपीसी 2015–16 हेतु नहीं किया गया। अपीलार्थी ने रिव्यू डीपीसी हेतु अभ्यावेदन किया था, परंतु अपीलार्थी का चयन रिव्यु डीपीसी 2015–16 में न करके डीपीसी 2016–17 में किया गया। अपीलार्थी से कनिष्ठ कर्मियों की डीपीसी पहले हो गई व अपीलार्थी उन कर्मियों से कनिष्ठ हो गया। अपीलार्थी ने प्रार्थना की कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का नाम डीपीसी 2015–16, जो प्रधानाचार्य के पद के लिए की गई थी, उसकी सूची में रखा जाए और

अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर उस दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जाए, जब से अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई थी।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)